



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 393]
No. 393]नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 16, 2005/भाद्र 25, 1927
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 16, 2005/BHADRA 25, 1927पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
(सड़क-परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2005

सा.का.नि. 589(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) का धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 15 मार्च, 2005 में, भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं० सा.का.नि.172 (अ), तारीख 15 मार्च, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें ऐसे व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको भारत के उस राजपत्र की प्रतियां जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 17 मार्च, 2005 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रारूप नियमों पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर निचार कर लिया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59)

की धारा 27, धारा 64, धारा 110 और धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2005 है।
- (2) जैसा अन्यथा उपबन्धित है, उसके सिवाय ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में, खंड (न) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

(प) “बैटरी चालित यान” से ऐसा यान अभिप्रेत है जो सड़क पर प्रयोग के लिए अनुकूल हो, अनन्य रूप से विद्युत मोटर से शक्ति मिलती हो और जिसे कर्षण ऊर्जा, यान में स्थापित कर्षण बैटरी द्वारा अनन्य रूप से दी जाती है ;

परन्तु यह कि यदि नियम 126 में विनिर्दिष्ट किसी परीक्षण करने वाले अभिकरण द्वारा निम्नलिखित शर्तें प्राधिकृत और सत्यापित की जाती हैं, तो बैटरी चालित यान को मोटर यान नहीं समझा जाएगा।

- (i) मोटर की तीस मिनट शक्ति 0.25 किलोवाट से कम है ;
- (ii) यान की अधिकतम गति 25 कि.मी. प्रति घंटा से कम है ;
- (iii) पेडल सहायता वाली ऐसी बाई-साइकिल जो - (क) विद्युत मोटर सहायक से सज्जित है और उसकी तीस मिनट शक्ति 0.25 किलोवाट से कम है, जिसका आउटपुट प्रभावीरूप से कम हो जाता है और अंत में, जैसे ही यान की गति 25 कि.मी./घंटा पर पहुंचती है, या कभी न कभी, यदि साइकिल चालक पेडल चलाना रोकता है, विच्छेद हो जाता है ; और (ख) उपयुक्त ब्रेक और प्रति परावर्तकता युक्तियों अर्थात् एक सफेद परावर्तक सामने और एक लाल परावर्तक पीछे से फिट किया गया है।

स्पष्टीकरण - मोटर की तीस मिनट शक्ति को ए आई एस : 049: 2003 में परिभाषित किया जाता है और सत्यापन की पद्धति ए आई एस : 041: 2003 में विहित है जब तक

कि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन तत्स्थानी भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देश अधिसूचित नहीं किए जाते ;

(फ) “ पावर टिलर ” से एकल धुरी युक्त एक कृषि मशीनरी अभिप्रेत है, जो भूमि तैयार करने के लिए प्रयोग की जाती है और यात्रा की दिशा और फील्ड प्रचालन के लिए इसका नियंत्रण इसके पीछे चलने वाले प्रचालक द्वारा किया जाता है । इस उपस्कर में बैठने की व्यवस्था हो सकता है अथवा नहीं भी हो सकती और जब इसे ट्रैलर के साथ जोड़ा जाए तो इसका प्रयोग माल के परिवहन के लिए किया जा सकता है । ट्रैलर के साथ जुड़े होने पर पावर टिलर की अधिकतम गति 22 कि.मी. प्रति घंटा से अधिक नहीं होगी । ट्रैलर के साथ जुड़े होने पर पावर टिलर की अधिकतम वहन क्षमता 1.5. टन से अधिक नहीं होगी ।’ ।

3. उक्त नियमों के नियम 4 में, -

(क) मद सं० 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ख) मद सं० 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टि

अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“ 11. धारा 28 के खंड (ट) के अधीन राज्य सरकार द्वारा यथा विहित कोई अन्य दस्तावेज या दस्तावेजों ” ।

4. केन्द्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2005 के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक मास पश्चात् से ही उक्त नियमों के नियम 24 के उपनियम (4) के अंत में “ऐसा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

5. उक्त नियमों के नियम 25 में, अंत में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

“ परन्तु उक्त अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता राज्य सरकार द्वारा यथा विहित ऐसा मानदंड पूरा करने के अधधीन होगी जिसे अनुज्ञप्ति प्राधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए वार्षिक आधार पर यथाविहित किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा ।” ।

6. केन्द्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2005 के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक मास पश्चात् से ही उक्त नियमों के नियम 30 के उपनियम (2) में “ ऐसी अपील प्राप्त होने की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर” शब्द अंत में अंतःस्थापित किए जाएंगे ।
7. केन्द्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2005 के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक मास पश्चात् से ही उक्त नियमों के नियम 35 के उपनियम (1) में “ प्ररूप 17 में ” शब्दों और अंकों के पश्चात् “ ऐसा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।
8. केन्द्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2005 के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक मास पश्चात् से ही उक्त नियमों के नियम 46 के उपनियम (2) में अंत में “ ऐसी अपील प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर” शब्द अंत में अंतःस्थापित किए जाएंगे ।
9. उक्त नियम के नियम 48 में , -
- (क) “ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन” शब्दों के पश्चात् “ ऐसा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर” शब्द जोड़े जाएंगे ;
- (ख) परन्तुक के अंत में “ ऐसा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर” शब्द जोड़े जाएंगे ।
10. उक्त नियमों के नियम 50 में, उपनियम (1) के खण्ड (vi) में, -
- (क) केन्द्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2005 के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष पश्चात् से ही द्वितीय परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु यह भी कि पावर टिलर की रजिस्ट्रीकरण प्लेट का आकार 285 X 45 मि.मी. होगा और यह आगे प्रदर्शित की जाएगी । इसके अतिरिक्त पावर टिलर के

साथ ट्रेलर जुड़े होने की दशा में रजिस्ट्रीकरण प्लेट का आकार 200 X 100 ”
मि.मी. होगा और यह पीछे प्रदर्शित की जाएगी ।

(ख) केन्द्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2005 के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, इस प्रकार अंतःस्थापित तीसरे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु यह और कि मोटर साइकिल की दशा में अगली रजिस्ट्रीकरण प्लेट के लिए 285 X 45 मि.मी. का आकार अनुज्ञात किया जाएगा । ”

11. उक्त नियमों के नियम 51 की सारणी में क्रम सं० 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

क्रम सं०	यान का वर्ग		विमाएं निम्नलिखित से कम नहीं		
8.	पावर टिलर	अगले अक्षर और अंक	15	2.5	2.5
9.	पावर टिलर से जुड़े ट्रेलर	पिछले अक्षर और अंक	30	5	5

12. केन्द्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2005 के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष पश्चात् से ही उक्त नियमों के नियम 62 के उपनियम (1) के खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“ (ग) इन नियमों के नियम 82 के अंतर्गत आने वाले यानों के संबंध में फिटनेस प्रमाणपत्र का नवीकरण

एक वर्ष ” ।

13. केन्द्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2005 के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष पश्चात् से ही उक्त नियमों के नियम 93 में, -

(क) उपनियम (4) में,-

- (i) खंड (i) में, “मोटर यान” शब्दों के स्थान पर “परिवहन यान” शब्द रखे जाएंगे ;
- (ii) खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :-
- “ (ii) दो डेक वाले परिवहन यान की दशा में यह 4.75 मीटर से अधिक नहीं होगी ;
- (ii)क) ट्रैक्टर-ट्रेलर माल यान की दशा में यह 4.20 मीटर से अधिक नहीं होगी ;” ;
- (ख) उपनियम (6) के स्पष्टीकरण I में, उपपैरा (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
- “(ग) तीन धुरी से अधिक धुरी वाले यानों की दशा में अगली धुरी संयोजन के मध्य बिन्दु और पिछली धुरी संयोजन के मध्य बिन्दु के बीच मापित दूरी ।” ।
14. केन्द्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2005 के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष पश्चात् से ही उक्त नियमों के नियम 93क के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
- “ 93 ख. पावर टिलरों की समग्र विमाएं - (1) राइडिंग अटैचमेंट युक्त पावर टिलर की समग्र लंबाई 3.5 मीटर से अधिक नहीं होगी ।
- (2) क्वेज व्हीलर सहित राइडिंग अटैचमेंट युक्त पावर टिलर की समग्र लंबाई 1.5 मीटर से अधिक नहीं होगी ।
- (3) पावर टिलर की अधिकतम समग्र ऊंचाई 2.0 मीटर से अधिक नहीं होगी ।
- (4) ट्रेलर से जुड़े पावर टिलर की समग्र लंबाई 6.0 मीटर से अधिक नहीं होगी ।
- (5) ट्रेलर से जुड़े पावर टिलर की अधिकतम समग्र चौड़ाई 1.7 मीटर से अधिक नहीं होगी ।
- (6) ट्रेलर से जुड़े पावर टिलर की अधिकतम समग्र ऊंचाई 2.0 मीटर से अधिक नहीं होगी ।”

15. उक्त नियमों के नियम 95 में उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“ (1) कृषि ट्रैक्टर, संनिर्माण उपस्कर यान और पावर टिलर से भिन्न 1 अप्रैल, 2006 को और उसके पश्चात् विनिर्मित आयातित सभी मोटर यानों में प्रयुक्त टायर जिनमें रेडियल टायर भी सम्मिलित हैं, तत्स्थानी बी आई एस विनिर्देशों के भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन अधिसूचित किए जाने तक लागू ए आई एस : 044 (भाग 1से 3) : 2004 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करेंगे :

परन्तु यह कि 1 अप्रैल, 2006 को और उसके पश्चात् विनिर्मित या आयातित मोटर यानों के लिए टायरों का चयन और फिटमेंट, तत्स्थानी बी आई एस विनिर्देश भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन अधिसूचित किए जाने तक दुपहिया व तिपहिया यानों की दशा में ए आई एस: 050: 2004 और अन्य मोटर यानों की दशा में ए आई एस: 051: 2004 के अनुसार होगा :

परन्तु यह कि केन्द्रीय सड़क परिवहन संस्थान, पुणे और समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अभिकरण नियम 126 के प्रयोजन के लिए टायरों हेतु ए आई एस: 044: 2004 के सत्यापन के लिए परीक्षण कर सकती है ।

16. केन्द्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2005 के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष पश्चात् से ही उक्त नियमों के नियम 95क के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“ 95ख. पावर टिलर के लिए टायर का आकार और प्लार्ई रेटिंग - टायर में टायर विनिर्माता द्वारा यथाविनिर्दिष्ट भार वहन क्षमता होनी चाहिए तथापि, पावर टिलर विनिर्माता द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकतम भार, टायर विनिर्माता द्वारा अनुज्ञात भार से अधिक नहीं होगा ।

(2) पावर टिलर विनिर्माता, टायर विनिर्माता द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार सिफारिश किए गए / अधिमानित रिम आकार के टायर का ही चयन करेगा ।

टिप्पण - इस नियम के अनुपालन के लिए निम्नलिखित मानक निर्दिष्ट किए जाएंगे :-

- (i) समय-समय पर यथासंशोधित आई एस : 13154 : 1991 , कृषि ट्रैक्टर उपकरण और पावर टिलर के लिए टायर ;
- (ii) यदि समय-समय पर यथासंशोधित आई एस : 13154^{: 1991} में विशेष आकार का टायर सूचीबद्ध नहीं है तो ई सी ई, जे ए टी एम ए, ई टी आर टी ओ, टी एन आर ए, आई टी टी ए सी, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानक के समकक्ष कोई टायर ।” ।

17. उक्त नियमों के नियम 96 में,-

(क) उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(4) 1 अप्रैल, 2006 को और उसके पश्चात् विनिर्मित प्रत्येक मोटर यान में ब्रेक प्रणाली होगी जिसका कार्य निष्पादन निम्नलिखित भारतीय मानक के अनुरूप होगा :-

- (i) दुपहिया और तिपहिया के लिए समय-समय पर यथा संशोधित आई एस : 14664: 1999 ;
- (ii) दुपहिया, तिपहिया, ट्रेलर, अर्ध ट्रेलर, संनिर्माण उपस्कर यान, कृषि ट्रैक्टर और पावर टिलर से भिन्न सभी मोटर यानों के लिए समय-समय पर यथासंशोधित आई एस : 11852 (भाग 1): 2001, 11852 (भाग 2): 2001, 11852 (भाग 3): 2001, 11852 (भाग 4): 2001, 11852 (भाग 5): 2001, 11852 (भाग 6): 2001, 11852 (भाग 7): 2001 और 11852 (भाग 8): 2001 :

परन्तु आई एस : 11852 : 2001 (भाग 9) के पैरा 4.2.1.1.1क में, ऐसे यानों के सिवाय जो एंटी लाक ब्रेकिंग प्रणाली से युक्त है, विनिर्दिष्ट स्वतः वियर समायोजन की अपेक्षा 1 अप्रैल, 2007 से ही प्रवृत्त होगी :

परन्तु यह और कि 1 अक्टूबर, 2006 को और उसके पश्चात् विनिर्मित और एंटी लाक ब्रेक प्रणाली युक्त यानों के लिए आई एस : 11852 : 2003 (भाग 9) लागू होगा ।” ।

(ख) उपनियम (8) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“ (9) निम्नलिखित प्रवर्ग के यानों में आई एस : 11852 : 2003 (भाग 9) के अनुरूप एंटी लाक ब्रेक प्रणाली लगाई जाएगी :-

- (i) खतरनाक माल और द्रवित पेट्रोलियम गैस की दुलाई के लिए 1 अक्टूबर, 2006 को और उसके पश्चात् विनिर्मित ट्रैक्टर-ट्रेलर संयोजन से भिन्न एन 2 और एन 3 प्रवर्ग के यान ;
- (ii) 1 अक्टूबर, 2007 को और उसके पश्चात् विनिर्मित एन 3 प्रवर्ग के यान जो डबल डेकर परिवहन यान हैं ;
- (iii) 1 अक्टूबर, 2007 को और उसके पश्चात् विनिर्मित एन 3 प्रवर्ग के यान जिनका प्रयोग ट्रैक्टर-ट्रेलर संयोजन के रूप में किया जाता है ;
- (iv) 1 अक्टूबर, 2007 को और उसके पश्चात् विनिर्मित एम 3 प्रवर्ग की बसें जो अखिल भारतीय पर्यटन परमिट पर चलती हैं ।”

18. केन्द्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2005 के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष पश्चात् से ही उक्त नियमों के नियम 96ग के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“ 96घ. पावर टिलर के लिए ब्रेक प्रणाली की अपेक्षाएं - पावर टिलर जब ट्रेलर से जुड़े हों, निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करेंगे -

- (i) ट्रेलर से जुड़े पावर टिलर के लिए 1.5 टन से अनधिक सकल संयोजन भार के साथ ब्रेक परीक्षण किया जाएगा जैसा कि विनिर्माता द्वारा घोषणा की गई है ;
- (ii) 600 एन से अनधिक पैडल प्रयास के साथ 7.5 मीटर की रुकने की अपेक्षा की दूरी को पूरा करने के लिए 15 कि.मी. प्रति घंटे की गति पर ब्रेक परीक्षण किया जाएगा ;

- (iii) पावर टिलर से जुड़े ट्रेलर में पार्किंग ब्रेक लगी होगी जो 12% ऊपरी ढलान और निचले ढलान पर संयोजन करे रोक सके ।” ।
19. केन्द्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2005 के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष पश्चात् से ही उक्त नियमों के नियम 98ख के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
- “ 98ग. पावर टिलर के लिए स्टियरिंग गियर - ट्रेलर के साथ जुड़े पावर टिलर का मोड़ चक्र व्यास और मोड़ निकासी चक्र व्यास जब समय-समय पर यथासंशोधित आई एस:12222:1987 के अनुसार मापा जाए, 10 मीटर से अधिक नहीं होगा ।” ।
20. केन्द्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2005 के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष पश्चात् से ही उक्त नियमों के नियम 99 के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
- “परन्तु यह कि राइडिंग अटैचमेंट युक्त पावर टिलर और ट्रेलर से जुड़ा पावर टिलर विपरीत दिशा में भी अपनी शक्ति से चलने में समर्थ होगा ।” ।
21. उक्त नियमों के नियम 101 में, -
- (क) उपनियम (1) के अंत में 1 अप्रैल, 2006 से ही “ मोटर साइकिलों और 500 घन सेंटीमीटर से अधिक क्षमता के इंजन वाले तिपहिया को छोड़कर” शब्दों और अंकों के स्थान पर “ मोटर साइकिल” शब्द रखे जाएंगे ।
- (ख) उपनियम (3) का लोप किया जाएगा ।
22. उक्त नियमों के नियम 102 में 1 अप्रैल, 2006 से ही उपनियम (1) और उसके अधीन परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-
- “(1) सभी मोटर यानों जिनमें संनिर्माण उपस्कर यान भी सम्मिलित हैं, में दाएं मुड़ने अथवा बाएं मुड़ने के लिए संकेत, विद्युत चालित दिशा सूचक लैंप द्वारा दिए जाएंगे ।

प्रत्येक संनिर्माण उपस्कर यान इस तरह रखे और अनुरक्षित किए जाएंगे कि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करें, अर्थात् :-

- (i) दिशा सूचक लैंप अंबर रंग की होंगी जो प्रति मिनट 60 से अन्यून और 120 फ्लैश से अनधिक दर पर लाइट फ्लैश द्वारा मुड़ने के आशय की सूचना देने के लिए जलती है ;
- (ii) लैंप से निकला प्रकाश जब वह प्रचालन में हो, यान के आगे और पीछे दोनों ओर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा ;
- (iii) प्रत्येक दिशा सूचक का न्यूनतम प्रकाशित क्षेत्र 60 वर्ग सेंटीमीटर होगा :

परन्तु इस नियम में उल्लिखित कोई भी बात एल 1 प्रवर्ग की मोटर साइकिलों पर लागू नहीं होगी । ” ।

23. उक्त नियमों के नियम 103 में 1 अप्रैल, 2006 से ही उपनियम (2) में “ 500 घन सेंटीमीटर से अधिक क्षमता के इंजन वाले तिपहियों और ” शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा ।

24. उक्त नियमों के नियम 104 में, -

(क) उपनियम (1) और उसके अधीन परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा. अर्थात् :-

“(1) तिपहिया और मोटर साइकिलों से भिन्न 1 अप्रैल, 2006 को और उसके पश्चात् विनिर्मित प्रत्येक मोटर यान जिनमें ट्रेलर और अर्द्ध ट्रेलर भी सम्मिलित हैं, में उनके पीछे दो पसावर्तक अर्थात् दोनों सिरों पर एक-एक परावर्तक लगाया जाएगा । प्रत्येक मोटर साइकिल में पीछे न्यूनतम एक लाल रिफ्लैक्स परावर्तक लगाया जाएगा :

परन्तु प्रत्येक माल वाहन के आगे और पीछे बाड़ी की चौड़ाई में न्यूनतम 20 मि.मी. चौड़ा पसावर्तक टेप अथवा पसावर्तक पेंट लगाया/पेंट किया जाएगा । ” ;

(ख) उपनियम (2) में 1 अप्रैल, 2006 से ही “ 500 घन सेंटीमीटर से अनधिक की क्षमता के इंजन वाले ” शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा ।

(ग) उपनियम (3) में 1 अप्रैल, 2006 से ही “ 500 घन सेंटीमीटर से अनधिक इंजन क्षमता पर ” शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा ।

(घ) उपनियम (4) में 1 अप्रैल, 2006 से ही “ भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट भारतीय मानक आई एस: 8339:1993 ” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर “भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन तत्स्थानी बी आई एस विनिर्देश अधिसूचित किए जाने तक “ ए आई एस : 057-2005” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

25. उक्त नियमों के नियम 104क के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“104ख. कृषि ट्रैक्टरों के लिए परावर्तक लगाया जाना :- (1) 1 अप्रैल, 2006 को और उसके पश्चात् से ही प्रत्येक कृषि ट्रैक्टर में पीछे दोनों ओर 7 वर्ग से.मी. से अन्यून परावर्तन क्षेत्र वाले दो गैर-त्रिकोण लाल परावर्तक लगाए जाएंगे,

(2) इस नियम के उपनियम (1) में निर्दिष्ट परावर्तक भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन तत्स्थानी बी आई एस विनिर्देश अधिसूचित किए जाने तक ए आई एस: 057:2005 के अनुरूप रिफ्लैक्स किस्म के होंगे ।”

“104ग. पावर टिलर पर परावर्तक लगाया जाना :- (1) केन्द्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2005 के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष पश्चात् से ही प्रत्येक पावर टिलर पर यान के अगले भाग में दोनों ओर 7 वर्ग से.मी. से अन्यून परावर्तन क्षेत्र वाले दो श्वेत रिफ्लैक्स परावर्तक लगाए जाएंगे और जो रात्रि के समय आगे से आगे वाले यानों को दिखाई देंगे, जो भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन तत्स्थानी बी आई एस विनिर्देश अधिसूचित किए जाने तक ए आई एस: 057:2005 के अनुरूप होंगे ;

(2) पावर टिलर से जुड़े ट्रेलरों की दशा में भूमि से 1500 मि.मी. से अनधिक ऊंचाई पर दाएं और बाएं सिरे पर 7 वर्ग सें.मी. से अन्यून परावर्तन क्षेत्र वाले दो लाल परावर्तक लगाए जाएंगे ।” ।

26.1 अप्रैल, 2006 से ही उक्त नियमों के नियम 105 में उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“ (1) इसमें इसके पश्चात् यथा उपबंधित के सिवाय, प्रत्येक मोटर यान को जिसे सूर्यास्त के पश्चात् आधा घंटे की अवधि के भीतर और ऐसे किसी समय जब पर्याप्त प्रकाश न हो, सार्वजनिक स्थल पर चलाते समय निम्नलिखित लैंप जलाई जाएगी जिससे वाहन से एक सौ पचपन मी. की दूरी पर सड़क पर ब्यक्तियों और यानों को स्पष्टतः देखा जा सकेगा :-

- (क) तिपहिया, अशक्त- तिपहिया यानों और मोटर साइकिलों से भिन्न अन्य यानों की दशा में दो अथवा चार हैड लैंप ;
- (ख) मोटर साइकिल, तिपहिया यानों और अशक्त- तिपहिया यानों की दशा में एक अथवा दो हैड लैंप ;
- (ग) मोटर साइकिल से संबद्ध कार की दशा में एक लैंप जो आगे श्वेत प्रकाश दर्शाए ;
- (घ) संनिर्माण उपस्कर यान की दशा में आगे की एक सौ पचपन मीटर की दूरी से दिखने वाली आगे की श्वेत प्रकाश को दर्शाते हुए दो या चार लैंप ।”

27. उक्त नियमों के नियम 109 में 1 अप्रैल, 2006 से ही “ 500 घन सेंटीमीटर से अनधिक की क्षमता के इंजन वाले तिपहिया यानों ” शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा ।

28. उक्त नियमों के नियम 110 में 1 अप्रैल, 2006 से ही,-

- (क) शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :-
“ तिपहियों पर लैंप” ;

- (ख) “ आटो रिक्शा और 500 घन सेंटीमीटर से अनधिक की क्षमता के इंजन वाले तिपहिए” शब्दों और अंकों के स्थान पर “तिपहिया” शब्द रखे जाएंगे ;
- (ग) परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
- “ परन्तु यह और कि एक हेड लैंप लगाया जाना 1400 मि.मी. से अनधिक समग्र चौड़ाई वाले तिपहिया की दशा में ही लागू होगा और ऐसे मामलों में साइड की लाइटें अम्बर रंग की होंगी ।”
29. उक्त नियमों के नियम 115क में, -
- (क) हाशिए के शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :-
- “डीजल इंजनों से चलने वाले कृषि ट्रैक्टरों, पावर टिलरों और संनिर्माण उपस्कर यानों से धूम्र और वाष्प का उत्सर्जन” ;
- (ख) उपनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-
- “ (5) विनिर्माता द्वारा डीजल इंजन से चलने वाले प्रत्येक कृषि ट्रैक्टर और पावर टिलर का विनिर्माण और उत्पादन इस तरह किया जाएगा कि वह दृष्टव्य प्रदूषकों के अतिरिक्त उसके द्वारा उत्सर्जित गैसीय प्रदूषकों के निम्नलिखित मानकों का अनुपालन करे जैसा कि उपनियम (2) में उपबंध है, जब आई एस ओ 8178-4 ‘सी 1’ 8 माँड घक्र में विहित प्रक्रिया के अनुसार परीक्षण किया जाए, अर्थात् :-
- परीक्षण के दौरान उत्सर्जित ग्राम प्रति किलोवाट घंटा में कार्बन मोनोक्साइड (सी ओ), हाइड्रोकार्बन (एच सी) नाइट्रोजन आक्साइड (एन ओ एक्स) और पार्टिकुलेट मैटर्स (पी एम) का औसत भार टाइप अनुमोदन (टी.ए) और उत्पादन परीक्षणों की अनुरूपता (सी.ओ.पी) के लिए निम्नलिखित सारणी में दी गई सीमाओं से अधिक नहीं होगा, अर्थात् :-

सारणी

(1)	भारत (ट्रेम)स्टेज II मानक	भारत (ट्रेम)स्टेज III मानक
	(2)	(3)
	टी ए = सी ओ पी	टी ए = सी ओ पी
कार्बन मोनोक्साइड (सी ओ) का भार	9.0	5.5
हाइड्रोकार्बन (एच सी) का भार	15.0	9.5
नाइट्रोजन आक्साइड (एन ओ एक्स) का भार	1.0	0.8

टिप्पण :-

- (1) उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लिखित मानदंड कृषि ट्रैक्टरों के लिए जो 1 जून, 2003 हैं, पावर टिलरों के लिए 1 अक्टूबर, 2006 से लागू होंगे ।
- (2) उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लिखित मानक कृषि ट्रैक्टरों के लिए 1 अक्टूबर, 2005 से और पावर टिलरों के लिए 1 अप्रैल, 2008 से लागू होंगे ।”

30. केन्द्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2005 के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष पश्चात् से ही उक्त नियमों के नियम 115ख में, -

(क) भाग क की मद (I) में ,खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा,
अर्थात् :-

“(क) नए पेट्रोल यानों पर यान विनिर्माताओं द्वारा सीएनजी फिटमेंट की दशा में, यान विनिर्माताओं द्वारा विनिर्मित प्रत्येक माडल नए यानों के प्रवर्ग के लिए

इसके उपयोग के स्थान के संबंध में, प्रवर्ग के लिए यथा लागू पुंज उत्सर्जन मामलों पर अभिभाषी के अनुसार टाइप अनुमोदन होगा;” ;

(ख) भाग के के मद (II) के खंड (क) निम्नलिखित उपखंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(iii) 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् विनिर्मित यानों के लिए चौपहिया यानों की दशा में न्यूनतम भारत स्टेज-III उत्सर्जन मानकों के अधीन रहते हुए यथा लागू टाइप अनुमोदन मानकों और दोपहिया या तिपहिया यानों के लिए भारत स्टेज-II उत्सर्जन मानक ।” ।

(ग) भाग ख के मद (I) के खंड (क) में, खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(क) नए डीजल यानों पर यान विनिर्माताओं द्वारा सीएनजी फिटमेंट्स की दशा में; यान विनिर्माताओं द्वारा विनिर्मित प्रत्येक माडल नए यानों के प्रवर्ग के लिए इसके उपयोग के स्थान के संबंध में प्रवर्ग के लिए यथा लागू बड़ी मात्रा में उत्सर्जन मानकों के अभिभाषी के अनुसार टाइप अनुमोदित होगा;” ।

(घ) भाग ख की मद (II) में खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(ग) जब प्रयोगशील यान को सी एन जी पर प्रचलित करने के लिए संपरिवर्तित किया जाता है तो वह उनके विनिर्माण के पश्चात्वर्ती वर्ष में डीजल यानों के अनुमोदित निम्नलिखित न्यूनतम मानदंड के अधीन रखते हुए पूरा करेगा ।”

(i) 31 मार्च, 2000 तक विनिर्मित यानों के लिए टाइप अनुमोदन मानक इन नियमों के अधीन यथा लागू भारत-2000 (भारत स्टेज-I) मानकों के तुल्य है ;

(ii) 1 अप्रैल, 2000 या इसके पश्चात् विनिर्मित यानों के लिए टाइप अनुमोदन मानक भारत स्टेज-II मानकों, ऐसे भारत स्टेज-II मानकों की विधिमान्यता तक, ये यथा निर्दिष्ट ;

(iii) 1 अप्रैल, 2005 तक और उसके पश्चात् विनिर्मित यानों के लिए चौपहिए यानों की दशा में न्यूनतम भारत स्टेज-III उत्सर्जन मानकों के अधीन रहते हुए यथा लागू टाइप अनुमोदन मानक और दोपहिया और तिपहिया यानों के लिए इन मानकों की विधिमान्यता तक भारत स्टेज II उत्सर्जन मानक;” ;

(ड) भाग ग में, तालिका के ऊपर के पैरे के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

“ग. प्रयोगशील में डीजल इंजन का नए सीएनजी इंजन द्वारा प्रतिस्थापन,- सम्पीडित प्राकृतिक गैस इंजन द्वारा प्रतिस्थापित किए गए डीजल इंजन वाले प्रयोगशील यान के टाइप अनुमोदन के लिए यह नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित परीक्षणों के अधीन इसके उपयोग के स्थान के संबंध में यानों के प्रवर्ग को यथा लागू उत्सर्जन मामलों के अभिभावी होने की पूर्ति करेगा।”

(च) भाग च में टिप्पण 7 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :-

“ 7. प्रयोगशील गैसोलिन यानों में कन्वर्जन किट अथवा संपरिवर्तित डीजल यानों की दशा में ऐसे यान जो यान के विनिर्माण के वर्ष के बीच विनिर्मित किए गए हैं और जिनमें ऐसे किट का परीक्षण किया गया है, परीक्षण अभिकरणों द्वारा जारी टाइप अनुमोदन प्रमाणपत्र के अन्तर्गत होंगे और ऐसे यानों के प्रवर्ग के लिए विहित लागू मानकों की विधि मान्यता की तारीख नियत 115ख के भाग क की मद (II) के खंड (क) के अनुसार परीक्षण अभिकरणों से माडल और उनके डीजल यानों के संपरिवर्ती तथा ऐसे

गैसोलिन यानों क्षमतारेंज जिन पर संपरिवर्तन के लिए प्रमाण पर विधिमान्य होगा, विशिष्ट रूप से उपदर्शित करने की अपेक्षा होगी ।” ।

31. उक्त नियमों के नियम 115ग में, -

(क) उप नियम (3) में खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(क) केन्द्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2005 के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष पश्चात् ही मानकों के अध्यक्षीन एलपीजी किट लगे प्रयोगशील यान ऐसे यानों के तत्स्थानी निर्माण वर्ष में यथा लागू गैसोलिन यानों के लिए इन नियमों में विनिर्दिष्ट टाइप अनुमोदन उत्सर्जन मानकों को निम्नलिखित न्यूनतम मानदंडों के धीन रहते हुए पूरा करेंगे :

- (i) 31 मार्च, 2000 तक विनिर्मित यानों के लिए टाइप अनुमोदन मानक इन नियमों के अधीन यथा लागू इंडिया - 2000 (इंडिया स्टेज-I) के समतुल्य ;
- (ii) 1 अप्रैल, 2000 के पश्चात् विनिर्मित यानों के लिए भारत स्टेज-II मानक में यथा विनिर्दिष्ट टाइप अनुमोदन मानक, ऐसे भारत स्टेज-II मानकों की विधिमान्यता तक ;
- (iii) 1 अप्रैल, 2005 के पश्चात् विनिर्मित यानों के लिए चौपहिया यानों की दशा में भारत स्टेज-III उत्सर्जन मानकों के न्यूनतम के अध्यक्षीन यथा लागू टाइप अनुमोदन मानक और दुपहिया अथवा तिपहिया यानों के लिए भारत स्टेज-II उत्सर्जन मानक :

परन्तु मॉडल/कन्वर्जन किट/अनुमोदित टाइप इंजन प्रतिस्थापन और इन नियमों के प्रारम्भ से पूर्व नियम 115ग के अधीन प्रमाणित (अधिसूचना सं. सा.का.नि. 284 (अ) तारीख 24 अप्रैल, 2001 के अनुसार) यानों के संबंध में ऐसे प्रमाण पत्र, विनिर्दिष्ट विधिमान्यता की

अवधि के होते हुए भी केन्द्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2005 के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 1 वर्ष के लिए विधिमान्य होंगे। ऐसे प्रमाणपत्रों का इन नियमों के अनुसार परीक्षण अभिकरणों से पुनर्विधिमान्यकरण आवश्यक होगा।”।

परन्तु यह और कि प्रोस्पेक्टिव किट विनिर्माता/रीट्रोफिटर/संपरिवर्तक नए नियमों की और इन नियमों के प्रारम्भ से पूर्व भी नए नियमों के अनुसार परीक्षण अभिकरणों का टाइप अनुमोदन प्राप्त करने के लिए मुक्त होंगे।”

(ख) उप नियम (5) का लोप किया जाएगा।

(ग) केन्द्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन नियम, 2005 के राजपत्र के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष पश्चात् से ही उप नियम (6) में, खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(i) नए डीजल यानों पर यान विनिर्माताओं द्वारा एल पी जी फिटमेंट्स की दशा में, यान विनिर्माताओं द्वारा निर्मित प्रत्येक मॉडल नए यानों के प्रवर्ग के लिए इनके उपयोग के स्थान के संबंध में यथा लागू बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जन मानकों के अभिभावी होने के अनुसार टाइप अनुमोदित होगा ;” ;

(घ) केन्द्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2005 के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष पश्चात् से ही उप नियम (7) में, तालिका के ऊपर पैरे के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(7) प्रयोगशील डीजल इंजन का नए एलपीजी इंजन द्वारा प्रतिस्थापन :-
ऐसे प्रयोगशील यान टाइप अनुमोदन के लिए जिनमें डीजल इंजन तरल पेट्रोलियम गैस इंजन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, यानों के प्रवर्ग को नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित परीक्षणों के अधीन इनके उपयोग

स्थान के संबंध में यथा लागू उत्सर्जन मानकों के अभिभावी होमे की पूर्ति करेगा ।”

(ड) केन्द्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2005 के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष पश्चात् से ही उप नियम (10) में टिप्पण 5 के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(6) प्रयोगशील गैसोलिन यानों में कन्वर्जन किट अथवा प्रयोगशील डीजल इंजन का नए एलपीजी इंजन द्वारा प्रतिस्थापन की दशा में यान के विनिर्माण के एक वर्ष के भीतर विनिर्मित ऐसे यानों जिसमें ऐसे किट का परीक्षण किया गया और नियम 115ग के उप नियम (3) की खंड (क) के अनुसार यानों के ऐसे प्रवर्ग के लिए विहित किए गए मानकों की विधिमान्यता की तारीख के अंतर्गत होगी । परीक्षण अभिकरणों को डीजल यानों और गैसोलिन यानों की क्षमता रेंज के लिए मॉडल और उनके रूपभेद जिन पर प्रमाण पत्र विधिमान्य होगा, का विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेख करना अपेक्षित होगा ।”

32. केन्द्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2005 के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक मास पश्चात् से ही उक्त नियमों के नियम 119 में, -

(क) उप नियम (1) में “प्रत्येक मोटर यान जिसमें संनिर्माण उपस्कर यान और कृषि ट्रैक्टर सम्मिलित हैं” शब्दों के स्थान पर “प्रत्येक मोटर यान, कृषि ट्रैक्टर, पावर टिलर और संनिर्माण उपस्कर यान” शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) उप नियम (1) के अधीन परंतुक में “हॉर्न लगाने की आवश्यकता” शब्दों के स्थान पर “मोटर यान के लिए हॉर्न लगाने की आवश्यकता” शब्द रखे जाएंगे ।

33. उक्त नियमों के नियम 120 में, -

(क) उप नियम (2) में, अन्त में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु 1 अप्रैल 2006 से ही जहां यानों के लिए ध्वनि के विभिन्न स्तर विहित हैं, वहां ऐसे प्रवर्ग के यानों के लिए विहित न्यूनतम सीमाएं बैटरी चालित यानों के लिए लागू होंगी।”

(ख) 1 अप्रैल, 2006 से एक वर्ष पश्चात् से ही उप नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(4) राइडिंग अटैचमेंट युक्त पावर टिलर अथवा ट्रेलर से जुड़े पावर टिलर की दशा में जब ध्वनि स्तर का समय समय पर यथा संशोधित आई एस : 12180: 2000 के अनुसार परीक्षण किया जाए तो यह साथ खड़े रहने वाले व्यक्ति की स्थिति में 88 डी बी (ए) और प्रचालक के कर्ण स्तर पर 98 डी बी (ए) से अधिक नहीं होगा।” ।

34. 1 अप्रैल, 2006 से ही उक्त नियमों के नियम 122 में, -

(क) पार्श्व शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :-

“चेसिस संख्या और इंजन संख्या और बैटरी प्रचालित यानों की दशा में मोटर संख्या और विनिर्माण के मास का उत्कीर्णन” ;

(ख) उप नियम (1) के परंतुक में “ इंजन संख्या, चेसिस संख्या और विनिर्माण मास के साथ साथ” शब्दों के स्थान पर “ इंजन संख्या/मोटर संख्या, चेसिस संख्या और विनिर्माण मास” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

35. केन्द्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2005 के प्रारम्भ की तारीख से छह मास पश्चात् से ही उक्त नियमों के नियम 124 में उप नियम (1क) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“ परन्तु यह कि यान विनिर्माता यह सुनिश्चित करेगा कि विशेष प्रयोजन यानों अर्थात् ट्रैक्टरों और टिपरों को छोड़कर एन 2, एन 3 प्रवर्ग के यानों और उनके ट्रैलरों में अपने यहां गतिशील अवस्था में पश्च अंडर सुरक्षा यंत्र और अपनी फ्रैक्टरी अथवा अपने डीलरों के यहां गतिशील अवस्था में पश्च सुरक्षा यंत्र लगाएंगे । जिन यानों में ऐसे यंत्र नहीं लगे होंगे, उनकी इन नियमों के अधीन उनकी रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी । यदि पश्च अंडर रन संरक्षा यंत्र की दशा में उनके द्वारा किट नहीं लगाई गई है तो वे आवश्यक किटों की आपूर्ति भी सुनिश्चित करेंगे:

परन्तु यह और भी कि चल अवस्था में पश्च सुरक्षा यंत्र पर पिछले पूर्ण भाग में पीली और श्वेत जेब्रा पट्टियां होंगी ।”

36. केन्द्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2005 के राजपत्र के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष पश्चात् से ही उक्त नियमों के नियम 124क के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“ 124ख. पावर टिलर के लिये पुर्जों के सुरक्षा मानक .- (1) निम्नलिखित के लिये पावर टिलर पर प्रयुक्त लैम्प/बल्ब :

(क) हेड लाइट मुख्य और डिप
 (ख) पार्किंग लाइट
 (ग) दिशा सूचक लैम्प
 (घ) टेल लैम्प
 (ङ) रिवर्सिंग लैम्प
 (च) स्टॉप लैम्प
 (छ) पश्च रजिस्ट्रेशन चिह्न प्रकाश लैम्प

तत्स्थानी बी आई एस के भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन विनिर्देश अधिसूचित किए जाने तक समय समय पर यथा संशोधित ए आई एस: 034: 2004 के अनुसार होंगी ।

- (2) प्रकाश और संकेत तंत्र तत्स्थानी बी आई एस के भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन विनिर्देश अधिसूचित किए जाने तक समय समय पर यथा संशोधित ए आई एस : 062 : 2004 के अनुसार होगा ।
- (3) पावर टिलर के प्रचालक की सुरक्षा और सुविधा समय समय पर यथा संशोधित आई एस : 12239 (भाग-3) : 1996 के अनुसार होंगी ।
- (4) विनिर्माता द्वारा घोषित संयोजन भार के अधीन ट्रेलर से जुड़े पावर टिलर की ग्रेड क्षमता समय समय पर यथा संशोधित आई एस : 9980 : 1988 के अनुसार होगी ।

37. उक्त नियमों के नियम 125 के उप नियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे अर्थात् :-

“ (6) 1 अक्टूबर, 2007 से ही एम 2, एम 3, एन 1, एन 2 और एन 3 प्रवर्ग के यानों के लिए सीट, उनकी एंकर व्यवस्था और उनका सिर प्रतिरोध तत्स्थानी बी आई एस भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन विनिर्देश अधिसूचित किए जाने तक समय समय पर यथा संशोधित ए आई एस : 023 : 2005 के अनुसार होगा।”

38. उक्त नियमों के नियम 125क के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“ 125ख. ऐसे परिवहन यानों के लिए विशेष अपेक्षाएं जो पर्वतीय मार्गों पर चलाई जाते हैं :-

(1) 1 अक्टूबर, 2006 से ही पर्वतीय प्रदेशों में ऐसे मार्गों अथवा क्षेत्रों में चलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में यथा अधिसूचित ऐसे चौपहिया परिवहन यानों में फॉग लैम्प, पावर स्टीयरिंग, डीफॉगिंग और डीमिस्टिंग प्रणाली लगाई जाएंगी और यह कि राज्य सरकार इस प्रयोजन के लिए छह मास का चलाने का समय उपलब्ध कराएगी ।”

(2) 1 अक्टूबर, 2007 से ही पहाड़ी क्षेत्रों में अखिल भारतीय पर्यटन परमिट पर चलने वाली एम-2 प्रवर्ग की सभी बसों में एंटी लाक ब्रेक प्रणाली प्रारंभ की जाएगी ।

125ग. बॉडी निर्माण और अनुमोदन :- (1) अधिसूचित किए जाने की तारीख से ही बसों के बॉडी निर्माण का परीक्षण और अनुमोदन तत्स्थानी बी आई एस भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन विनिर्देश अधिसूचित किए जाने तक उल्लिखित यानों के लिए समय समय पर यथा संशोधित ए आई एस:052 : 2001 के अनुसार होगा ।

(2) स्कूल बसों के बॉडी निर्माण का परीक्षण और अनुमोदन तत्स्थानी बी आई एस भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन विनिर्देश अधिसूचित किए जाने तक उसमें उल्लिखित यानों के लिए समय समय पर यथा संशोधित ए आई एस:063 : 2005 के अनुसार होगा

39. केन्द्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2005 के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष पश्चात् से ही उक्त नियमों के नियम 128 में उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“ (4) आपात निकास - पर्यटन यान में उपलब्ध आपात निकास निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करेगा, अर्थात् :-

- (i) पर्यटन यान के भीतरी और बाहरी और स्पष्ट अक्षरों में 'आपात निकास' लिखा होगा ;
- (ii) यह इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि पर्यटन यान के भीतरी और बाहरी दोनों ओर से खुले ;
- (iii) उसे बंद करने का तंत्र लगा होगा जिसे आसानी से मुक्त किया जा सके किन्तु वह इस तरह बना होगा कि दुर्घटना की दशा में सुरक्षा प्रदान करे ;
- (iv) यान के बाहर भूमि पर खड़े सामान्य लम्बाई के व्यक्ति आसानी से उस तक पहुंच सकें ;
- (v) यात्रियों के लिए सुगम्य हो ;
- (vi) इस तरह स्थित हो कि यान में स्थित कोई सीट अथवा अन्य वस्तु आपात दरवाजे के मार्ग को बाधित न करे ;
- (vii) यान के पिछली ओर अथवा दायीं ओर स्थित हो ;
- (viii) आपातकालीन निकासी टूटनीय शीशे की खिड़की के रूप में उपलब्ध कराई जा सकेगी । ऐसे मामलों में, कोई समुचित व्यक्ति आपातकाल की दशा में शीशे को तोड़कर खोलने के लिए सुविधाजनक स्थान पर लगाई जाएगी ।”

40. केन्द्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2005 के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष पश्चात् से ही उक्त नियमों के नियम 128 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“ 128क. एम 3 प्रवर्ग के यानों के लिए विशेष उपबंध --

नियम 128क के उप नियम 4 के उपबंध एम 3 प्रवर्ग के सभी यानों पर लागू होंगे ।” ।

41. केन्द्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2005 के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छह मास पश्चात् से ही उक्त नियमों के नियम 138 के उप नियम (4) में -

(क) खंड (ग) में अन्त में निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु यह और कि इसके अतिरिक्त एम3 और एन3 के प्रवर्ग के यानों में भी यान के आगे और पीछे समय समय पर यथा संशोधित ए आई एस: 022:2001, उक्त मानक में उपाबंध-4 के खंड 7.2, 7.3, 7.4, 7.7, 8.1.2 और 5.0, 6.0, 11.0 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का वर्णन करते हुए, के अनुपालन करने में पश्च परावर्तन त्रिकोण लगाना अपेक्षित होगा। यान के आगे लगाए गए त्रिकोण का रंग सफ़ेद और पीछे लगाए गए त्रिकोण का रंग लाल होगा। आगे और पीछे दोनों त्रिकोणों की अवस्थिति धरातल से अधिमानतः यान के केन्द्र पर, कम से कम एक मीटर ऊपर होगी। “श्वेत रंग चेतावनी त्रिकोण के प्रयोग के लिए जहां कहीं भी ए आई एस : 022:2001 में लागू हो, ‘लाल’ शब्द ‘श्वेत’ शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। श्वेत पश्च परावर्तन भाग के रंग की अपेक्षाएं ए आई एस : 057 के खंड 8.5 के अनुसार होंगी और श्वेत प्रतिदीप्ति सामग्री आई एस ओ : 7591: 82 (ई) के खंड 7.1 के अनुसार होंगी।”

(ख) खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(च) दुपहिया की खरीद के समय दुपहिया विनिर्माता बी आई एस द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन विहित विनिर्देश के अनुरूप सुरक्षा हैड गियर प्रदान करेगा ;

परन्तु ये शर्तें धारा 129 और संबद्ध राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार छूट प्राप्त प्रवर्ग के व्यक्तियों को लागू नहीं होंगी।”

42. केन्द्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2005 के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छह मास के पश्चात् से ही प्ररूप 20, 21, 22, 22क, 23, 23क, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 41, 42, 43, 46, 47, 51 और 54 में आगे वाले “इंजन संख्या” शब्दों के स्थान पर “इंजन संख्या या बैटरी चालित यानों की दशा में मोटर संख्या” शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. आरटी-11028/3/2004-एमवीएल]
एस. के. मिश्र, निदेशक (सड़क परिवहन)

टिप्पण :- मूल नियम सं.सा.का.नि. 590 (अ), तारीख 2 जून, 1998 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और सा.का.नि. 349 (अ), तारीख 1 जून, 2005 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए।

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**(Department of Road Transport and Highways)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th September, 2005

G.S.R. 589(E).—Whereas the draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published as required by sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), dated the 15th March, 2005 vide notification of Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways), number G.S.R. 172 (E), dated the 15th March, 2005, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India, in which the said notification was published, were made available to the public;

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on the 17th March, 2005;

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft rules have been considered by the Central Government ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 27, 64, 110 and 128 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles(Fifth Amendment) Rules, 2005.
(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred as the said rules), in rule 2, after clause (t), the following clauses shall be inserted, namely:-

(u) "Battery Operated Vehicle" means a vehicle adapted for use upon roads and powered exclusively by an electric motor whose traction energy is supplied exclusively by traction battery installed in the vehicle:

Provided that if the following conditions are verified and authorized by any testing agency specified in rule 126, the battery operated vehicle shall not be deemed to be a motor vehicle.

(i) the thirty minutes power of the motor is less than 0.25 kW.;

(ii) the maximum speed of the vehicle is less than 25 km/h.;

(iii) bi-cycles with pedal assistance which are - (a) equipped with an auxiliary electric motor having a thirty minute power less than 0.25 kW, whose output is progressively reduced and finally cut off as the vehicle reaches a speed of 25 km/h, or sooner, if the cyclist stops pedalling; and (b) fitted with suitable brakes and retro-reflective devices, i.e. one white reflector in the front and one red reflector at the rear.

Explanation.- The thirty minute power of the motor is defined in AIS:049:2003 and method of verification is prescribed in AIS:041:2003, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986) ;

(v) "Power tiller" means an agricultural machinery used for soil preparation having a single axle in which the direction of travel and its control for field operation is performed by the operator walking behind it. This equipment may or may not have a riding attachment and when coupled to a trailer can be used for the transportation of goods. The maximum speed of the power tiller when coupled to a trailer, shall not exceed 22 km/h. The maximum haulage capacity of the Power tiller coupled to a trailer shall not exceed 1.5 tons.'

3. In rule 4 of the said rules,-

(a) item number 1 and the entries relating thereto shall be omitted;

(b) after item number 10 and the entries relating thereto, the following item and the entry shall be inserted, namely:-

"11. Any other document or documents as may be prescribed by the State Government under clause (k) of section 28:"

4. On and from one month from the date of publication of the Central Motor Vehicles (Fifth Amendment) Rules, 2005, in the Official Gazette, in rule 24

of the said rules, in sub-rule (4), the words "within a period of ninety days from receipt of such an application" shall be inserted at the end.

5. In rule 25 of the said rules, the following proviso shall be added at the end, namely:-

"Provided that the validity of the said licence shall be subject to fulfilling the criteria as prescribed by the State Government, which shall be certified by the licensing authority or any other authority as may be prescribed for the purpose by the State Government on an annual basis."

6. On and from one month from the date of publication of the Central Motor Vehicles (Fifth Amendment) Rules, 2005, in the Official Gazette, in rule 30 of the said rules, in sub-rule (2), the words "within a period of forty five days from the date of receipt of such an appeal" shall be inserted at the end.

7. On and from one month from the date of publication of the Central Motor Vehicles (Fifth Amendment) Rules, 2005, in the Official Gazette, in rule 35 of the said rules, in sub-rule (1), after the words and figures "in Form 17", the words "within thirty days from the date of receipt of such an application" shall be inserted.

8. On and from one month from the date of publication of the Central Motor Vehicles (Fifth Amendment) Rules, 2005, in the Official Gazette, in rule 46 of the said rules, in sub-rule (2), the words "within the period of thirty days from the date of receipt of such an appeal" shall be inserted at the end.

9. In rule 48 of the said rules, -

(a) after the words "Union Territory Administration", the words "within the period of thirty days from the receipt of such an application" shall be added;

(b) after the end of the proviso, the words "within the period of thirty days from the date of receipt of such an application" shall be added.

10. In rule 50 of the said rules, in sub-rule (1), in clause (vi),-

(a) On and from one year from the date of publication of the Central Motor Vehicles (Fifth Amendment) Rules, 2005, in the Official Gazette, after second proviso, the following third proviso shall be inserted, namely:-

"Provided also that the size of registration plate for power tiller shall be 285x45 mm and shall be exhibited at the front. Further, in case of trailer coupled to power tiller, the size of registration plate shall be 200x100 mm and shall be exhibited on its rear:

(b) On and from the date of publication of the Central Motor Vehicles (Fifth Amendment) Rules, 2005 in the Official Gazette, after the third proviso so inserted, the following fourth proviso shall be inserted, namely:-

"Provided also that in case of a motor cycle, the size of 285 x 45mm for front registration plate shall also be permitted."

11. In rule 51 of the said rules, in the Table, after the serial number 7 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries thereto shall be inserted, namely:-

Serial number	Class of vehicle	Dimension not less than		
		Height	Thick-ness	Space between
8.	Power tillers Front letters and numerals	15	2.5	2.5
9.	Trailers coupled to power tillers Rear letters and numerals	30	5	5

12. On and from one year from the date of publication of the Central Motor Vehicles (Fifth Amendment) Rules, 2005, in the Official Gazette, in rule 62 of the said rules, in sub-rule (1), for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:-

"(c) renewal of certificate of fitness in respect of vehicles covered under rule 82 of these rules one year".

13. On and from one year from the date of publication of the Central Motor Vehicles (Fifth Amendment) Rules, 2005, in the Official Gazette, in rule 93 of the said rules,-

(a) in sub-rule (4),-

(i) in clause (i), for the words "motor vehicle", the words "transport vehicle" shall be substituted;

(ii) for clause (ii), the following clauses shall be substituted, namely:-

"(i) in the case of a double decked transport vehicle, shall not exceed 4.75 metres;

(ii) in the case of tractor-trailer goods vehicle, shall not exceed 4.20 metres;";

(b) in sub-rule (6), in *Explanation-I*, after paragraph (b), the following paragraph shall be inserted, namely:-

"(c) in the case of vehicles having more than three axles, the distance measured between the centre point of the front combination axles and the centre point of the rear combination axles;".

14. On and from one year from the date of publication of the Central Motor Vehicles (Fifth Amendment) Rules, 2005, in the Official Gazette, after rule 93A of the said rules, the following rule shall be inserted, namely:-

"93B. Overall dimension for Power tillers.- (1) The overall length of the power tiller with a riding attachment shall not exceed 3.5 metres.

(2) The overall width of the power tiller with a riding attachment including case wheelers shall not exceed 1.5 metres.

(3) The maximum overall height of the power tiller shall not exceed 2.0 metres.

(4) The overall length when of the power tiller when coupled to a trailer shall not exceed 6.0 metres.

(5) The maximum overall width of the power tiller when coupled to a trailer shall not exceed 1.7 metres.

(6) The maximum overall height of the power tiller when coupled to a trailer shall not exceed 2.0 metres."

15. In rule 95 of the said rules, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) The tyres including radial tyres used on all motor vehicles manufactured or imported on and after the 1st day of April, 2006, other than agricultural tractors, construction equipment vehicles and power tillers shall comply with the requirements specified in AIS:044 (Part 1 to 3):2004 as applicable till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards, Act, 1986 (63 of 1986);

Provided that the selection and fitment of tyres for motor vehicles manufactured or imported on and from the 1st day of April, 2006 shall be in accordance with AIS:050:2004 in the case of two and three wheelers and AIS:051:2004 in the case other motor vehicles, till such time the

corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards, Act, 1986 (63 of 1986);

Provided further that Central Institute of Road Transport, Pune and any other agency which may be authorized by Central Government from time to time can carry tests for verification against AIS:044:2004 for tyres for the purposes of rule 126.”.

16. On and from one year from the date of publication of the Central Motor Vehicles (Fifth Amendment) Rules, 2005, in the Official Gazette, after rule 95A, the following rule shall be inserted, namely:-

“95B. Size and ply rating of tyres for Power tillers.- (1) The tyre should have load carrying capacity as specified by the tyre manufacturer, however, the maximum load specified by the power tiller manufacturer shall not be greater than that permitted by the tyre manufacturer.

(2) The Power tiller manufacturer shall select the recommended/preferred rim sizes only, as suggested by the tyre manufacturer.

Note: For compliance to this rule, the following standards shall be referred to, namely:-

(i) IS:13154-1991, as amended from time to time - Tyre for agricultural tractor, implement and power tillers.

(ii) In case a particular size of tyre is not listed in IS:13154-1991, as amended from time to time, any equivalent International Standard like ECE, JATMA, ETRTO, TNRA, ITTAC, etc.”.

17. In rule 96 of the said rules,-

(a) for sub-rule (4), the following shall be substituted, namely:-

“(4) Every motor vehicle manufactured on and after the 1st day of April, 2006 shall have a braking system whose performance shall conform to the following Indian Standard, namely-

(i) for two wheelers and three wheelers IS:14664:1999, as amended from time to time.

(ii) all motor vehicles, other than two wheelers, three wheelers, trailers, semi trailers, construction equipment vehicles, agricultural tractors and power tillers, IS:11852 (Part 1): 2001, 11852 (Part 2): 2001, 11852 (Part 3): 2001, 11852 (Part 4): 2001, 11852 (Part 5):

2001, 11852 (Part 6): 2001, 11852 (Part 7): 2001 and 11852 (Part 8): 2001, as amended from time to time.

Provided that the requirements of automatic wear adjustment specified in para 4.2.1.1.1a of IS:11852:2001(Part 2), except for those vehicles fitted with Anti-Lock Braking System, shall come into force from the 1st day of April, 2007.

Provided further that IS:11852:2003(Part 9) shall be applicable for vehicles manufactured on and after the 1st day of October, 2006 fitted with Anti-lock Braking System."

(b) after sub-rule (8), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(9) The following category of vehicles shall be fitted with Anti-lock Braking System conforming to IS:11852:2003 (Part 9):-

- (i) N2 and N3 category of vehicles other than tractor-trailer combination manufactured on and after the 1st day of October, 2006 meant for carrying hazardous goods and liquid petroleum gas;
- (ii) N3 category vehicles manufactured on and after the 1st day of October, 2007, which are double decked transport vehicles;
- (iii) N3 category vehicles manufactured on and after the 1st day of October 2007, that are used as tractor-trailer combinations.
- (iv) M3 category of buses that ply on All India Tourist permit, manufactured on and after the 1st day of October, 2007."

18. On and from one year from the date of publication of the Central Motor Vehicles (Fifth Amendment) Rules, 2005, in the Official Gazette, after rule 96C of the said rules, the following rule shall be inserted, namely:-

"96D. Braking requirements for Power tillers.- The Power tillers when coupled to a trailer shall meet the following requirements, namely:-

- (i) the brake test for the power tiller coupled to a trailer shall be carried out with a gross combination weight not exceeding 1.5 tons as declared by the manufacturer;
- (ii) The brake test shall be conducted at a speed of 15 km/h to meet the stopping distance requirement of 7.5 metres with the pedal effort not exceeding 600N;

279261/05—5

(iii) The trailer coupled to the Power tiller shall be fitted with a parking brake capable of holding the combination on an up-slope and down-slope gradient of 12%."

19. On and from one year from the date of publication of the Central Motor Vehicles (Fifth Amendment) Rules, 2005, in the Official Gazette, after rule 98B of the said rules, the following rule shall be inserted, namely:-

"98C. Steering gear for Power tillers.- The turning circle diameter and the turning clearance circle diameter of Power tillers coupled to trailers, when measured as per IS:12222:1987, as amended from time to time, shall not exceed 10 metres."

20. On and from one year from the date of publication of the Central Motor Vehicles (Fifth Amendment) Rules, 2005, in the Official Gazette, in rule 99 of the said rules, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that Power tillers with a riding attachment and power tillers coupled to trailers shall be capable of moving under its own power in the reverse direction also."

21. In rule 101 of the said rules,-

(a) at the end of sub-rule (1), on and from the 1st day of April, 2006, for the words, figures and letters "motor cycles and three wheelers of engine capacity not exceeding 500 cc", the words "and motor cycles" shall be substituted;

(b) sub-rule (3) shall be omitted.

22. In rule 102 of the said rules, on and from the 1st day of April, 2006, for sub-rule (1) and the proviso thereunder, the following shall be substituted, namely:-

"(1) The signal to turn to the right or to the left shall be given by electrically operated direction indicator lamps on all motor vehicles including construction equipment vehicles. Every construction equipment vehicle shall be fitted and maintained so that the following conditions are met, namely:-

- (i) The direction indicator lamps shall be of amber colour which are illuminated to indicate the intention to turn, by a light flashing at the rate of not less than 60 and not more than 120 flashes per minute.

(ii) The light emitted by the lamp when in operation shall be clearly visible from both front and rear of the vehicle.

(iii) The minimum illuminated area of each direction indicator shall be 60 square centimeters:

Provided that nothing contained in this sub-rule shall apply to L1 category of motorcycles.”.

23. In rule 103 of the said rules, on and from the 1st day of April, 2006, in sub-rule (2), for the words, figures and letters "three wheelers of engine capacity not exceeding 500 cc and", shall be omitted.

24. In rule 104 of the said rules, -

(a) for sub-rule(1) and the proviso thereunder, the following shall be substituted, namely:-

“(1) Every motor vehicle manufactured on and after the 1st day of April, 2006, including trailers and semi-trailers, other than three wheelers and motor cycles shall be fitted with two red reflectors, one each on both sides at their rear. Every motor cycle shall be fitted with at least one red reflex reflector at the rear:

Provided that a reflective tape or reflective paint of not less than 20 mm width and running across the width of the body shall be affixed/painted at the front and rear of every goods carriage.”

(b) in sub-rule (2), on and from the 1st day of April, 2006, the words, figures and letters "of engine capacity not exceeding 500 cc" shall be omitted.

(c) in sub-rule (3), on and from the 1st day of April, 2006, the words, figures and letters "of engine capacity not exceeding 500 cc" shall be omitted.

(d) in sub-rule (4), on and from the 1st day of April, 2006, for the words, figures and letters "the Indian Standards IS:8339:1993 specified by the Bureau of Indian Standards", the words, figures and letters "AIS:057:2005 till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards, Act, 1986 (63 of 1986)" shall be substituted.

25. After rule 104A of the said rules, the following rules shall be inserted, namely:-

"104B. Fitment of reflectors for agricultural tractors.- (1) Every agricultural tractor manufactured on and after the 1st day of April, 2006 shall be fitted with two non-triangular red reflectors of not less than 7 sq.cm reflecting area one each on both sides at the rear.

(2) The reflectors referred in sub-rule (1) of this rule shall be of the reflex type conforming to AIS:057:2005 till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards, Act, 1986 (63 of 1986)."

104C. Fitment of reflectors on Power tillers.- (1) On and from one year from the date of commencement of the Central Motor Vehicles (Fifth Amendment) Rules, 2005, every power tiller shall be fitted with two white reflex reflectors of not less than 7 sq.cm reflecting area in the front of the vehicle one on each side and visible to oncoming vehicles from the front at night, conforming to AIS 057: 2005 till corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards, Act, 1986 (63 of 1986).

(2) In the case of trailers attached to power tillers, two red reflectors of not less than 7 sq.cm reflecting area in the rear side, one each at right and left corners, at a height not exceeding 1500 mm above the ground shall also be fitted."

26. On and from the 1st day of April, 2006, in rule 105 of the said rules, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) Save as hereinafter provided, every motor vehicle, while being driven in a public place, during the period half an hour after sunset and at any time when there is no sufficient light, shall be lit with the following lamps which shall render clearly discernible persons and vehicles on the road at a distance of one hundred and fifty five metres ahead:-

- (a) in the case of motor vehicle other than three wheelers, three wheeled invalid carriages and motor cycles, two or four head lamps;
- (b) in the case of motor cycles, three wheelers and three wheeled invalid carriages one or two head lamps.
- (c) in the case of a side car attached to a motor cycle one lamp showing a white light to the front."

- (d) in the case of construction equipment vehicle, two or four lamps showing to the front white light visible from a distance of one hundred and fifty five meters ahead.
27. On and from the 1st day of April, 2006, in rule 109 of the said rules, the words, figures and letters "three wheelers of engine capacity not exceeding 500 cc" shall be omitted.
28. On and from the 1st day of April, 2006, in rule 110 of the said rules,-
- (a) for the heading, the following heading shall be substituted, namely:-
"Lamps on three wheelers";
- (b) for the words, figures and letters "auto-rickshaw and three wheeler of engine capacity not exceeding 500 cc", the words "three wheeler" shall be substituted;
- (c) after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-
"Provided further that fitment of one head lamp shall be applicable only in case of three wheelers with overall width not exceeding 1400 mm and in such cases the side lights shall be amber in colour."
29. In rule 115A of the said rules,-
- (a) for the marginal heading, the following heading shall be substituted namely:-
"Emission of smoke and vapour from agricultural tractors, power tillers and construction equipment vehicles driven by diesel engines.-";
- (b) for sub-rule (5), the following shall be substituted, namely:-
"(5) Every diesel driven agriculture tractor and power tiller shall be so manufactured and produced by the manufacturer that it complies with the following standards of gaseous pollutants emitted by them in addition to those of visible pollutants as provided in sub-rule (2) when tested as per the procedure prescribed in ISO 8178-4 'C1' 8 mode cycle, namely:-

The weighted average Mass of Carbon Monoxide (CO), Hydrocarbon (HC) and oxides of nitrogen (NO_x) and Particulate Matter (PM) in gram per

kilo watt hour emitted during the test shall not exceed the limits given below in the Table for Type Approval (TA) and Conformity of Production (COP) tests, namely:-

TABLE

(1)	Bharat (Trem) Stage II norms	Bharat (Trem) Stage III norms
	(2)	(3)
	TA=COP	TA=COP
Mass of Carbon Monoxide (CO)	9.0	5.5
Mass of Hydro Carbons (HC)	15.0	9.5
Mass of Oxides of Nitrogen (NOx)		
Mass of Particulate Matter (PM)	1.0	0.8

Notes:-

- (1) The norms mentioned in column (2) of the said Table which are applicable for agricultural tractor with effect from the 1st day of June, 2003, shall be applicable for power tillers from the 1st day of October, 2006.
- (2) The norms mentioned in column (3) of the said Table shall be applicable for agricultural tractor with effect from the 1st day of October, 2005 and for power tillers from the 1st day of April, 2008."

30. On and from one year from the date of publication of the Central Motor Vehicles (Third Amendment) Rules, 2005, in the Official Gazette, in rule 115B of the said rules,-

(a) in part A, in item (I), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

"(a) In case of CNG fitments by vehicle manufacturers on new petrol vehicles, each model manufactured by vehicle manufacturers shall be type approved as per the prevailing mass emission norms as applicable for the category of new vehicles in respect of the place of its use;"

(b) in part A, in item (II), in clause (a), the following sub-clause shall be inserted, namely:-

"(ii) for the vehicles manufactured on and after the 1st day of April, 2005, the type approval norms as applicable subject to minimum of Bharat Stage-III emission norms in case of four wheelers and Bharat Stage-II emission norms for two and three wheelers."

(c) in part B, in item (I), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

“(a) In case of CNG fitments by vehicle manufacturers on new diesel vehicles, each model manufactured by vehicle manufacturers shall be type approved as per the prevailing mass emission norms as applicable for the category of new vehicles in respect of the place of its use;”;

(d) in part B, in item (II), for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:-

“(c) The in-use vehicles when converted to operate on CNG shall meet the type approval norms of diesel vehicles corresponding to the year of their manufacture subject to the following minimum norms:-

- (i) for the vehicles manufactured upto the 31st day of March, 2000, the type approval norms equivalent to India-2000(India Stage-I) norms as applicable under these rules;
- (ii) for the vehicles manufactured on and after the 1st day of April, 2000, the type approval norms as specified in the Bharat Stage-II norms, till the validity of such Bharat Stage-II norms;
- (iii) for the vehicles manufactured on and after the 1st day of April, 2005, the type approval norms as applicable subject to minimum of Bharat Stage-III emission norms in case of four wheelers and Bharat Stage-II emission norms for two and three wheelers till the validity of these norms;”;

(e) in part C, for the para above the Table, the following para shall be substituted, namely:-

“C. Replacement of In-use Diesel Engine by New CNG Engine.- For Type Approval of in-use vehicle having diesel engine replaced by new Compressed Natural Gas engine, it shall meet prevailing emission norms as applicable to the category of vehicles in respect of its place of use subject to tests mentioned in the Table given below.”

(f) in part F, for note 7, the following note shall be substituted, namely:-

“7. In case of conversion kits on in-use gasoline vehicles or converted diesel vehicles, the validity of the type approval certificate issued by

the testing agencies shall cover vehicles manufactured between the year of manufacture of the vehicle, on which such kit has been tested and date of the validity of the applicable norms prescribed for such category of vehicles as per clause (a) of item (II) of part A of rule 115B. Testing agencies shall be required to indicate specifically the model and their variants for diesel vehicles and capacity range of gasoline vehicles on which the certificate shall be valid for conversion.”.

31. In rule 115C of the said rules,-

(a) In sub-rule (3), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

“(a) On and after expiry of one year from the date of publication of the Central Motor Vehicles (Fifth Amendment) Rules, 2005 in the Official Gazette, the in-use vehicles fitted with LPG kits shall meet the type approval emission norms specified in these rules for gasoline vehicles as applicable to the corresponding year of manufacture of such vehicle, subject to the following minimum norms:

- (i) for the vehicles manufactured upto the 31st day of March, 2000, the type approval norms equivalent to India-2000(India Stage-I) norms as applicable under these rules;
- (ii) for the vehicles manufactured after the 1st day of April, 2000, the type approval norms as specified in the Bharat Stage-II norms, till the validity of such Bharat Stage-II norms;
- (iii) for the vehicles manufactured after the 1st day of April, 2005, the type approval norms as applicable subject to minimum of Bharat Stage-III emission norms in case of four wheelers and Bharat Stage-II emission norms for two and three wheelers:

Provided that in respect of vehicle model/conversion kits/engine replacements type approved and certified under rule 115C prior to commencement of these rules (as per notification number G.S.R. 284(E) dated the 24th April, 2001), such certificates shall cease to be valid after one year from the date of publication of the Central Motor Vehicles (Fifth Amendment) Rules, 2005, in the Official Gazette notwithstanding the period of validity specified in such certificates. Such certificates need to be revalidated by testing agencies in terms of these rules.”.

Provided further that respective kit manufacturer / retrofitter / converters shall be free to obtain from testing agencies type approval in terms of new rules even prior to commencement of these rules."

(b) sub-rule (5) shall be omitted.

(c) On and from one year from the date of publication of the Central Motor Vehicles (Fifth Amendment) Rules, 2005, in the Official Gazette, in sub-rule(6) for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-

"(i) in case of LPG fitments by vehicles manufacturers on new diesel vehicles, each model manufactured by vehicle manufacturers shall be type approved as per the prevailing mass emission norms as applicable for the category of new vehicles in respect of the place of its use;"

(d) On and from one year from the date of publication of the Central Motor Vehicles (Fifth Amendment) Rules, 2005 in the Official Gazette, in sub-rule (7), for the para above the Table, the following para shall be substituted, namely:-

"(7) Replacement of In-use Diesel Engine by new LPG Engine.-

For type approval of in-use vehicle having diesel engine replaced by new Liquefied Petroleum Gas engine it shall meet the prevailing emission norms as applicable to the category of vehicles in respect of its place of use subject to the tests mentioned in the Table given below."

(e) On and from one year from the date of publication of the Central Motor Vehicles (Fifth Amendment) Rules, 2005, in the Official Gazette, in sub-rule (10), after Note (5), the following Note shall be inserted, namely:-

"(6) In case of conversion kits on in-use gasoline vehicles or replacement of in-use diesel engines by new LPG engines, the validity of the type approval certificates issued by the testing agencies shall cover vehicles manufactured between the year of manufacture of the vehicle, on which such kit had been tested and the date of validity of the norms prescribed for such category of vehicles as per clause (a) of sub-rule (3) rule 115C. Testing agencies shall be required to indicate specifically, the model and their variants for diesel vehicles and capacity range of gasoline vehicles on which the certificate shall be valid for conversion."

32. On and from one year from the date of publication of the Central Motor Vehicles (Fifth Amendment) Rules, 2005, in the Official Gazette, in rule 119 of the said rules,-
- (a) in sub-rule (1), for the words, "every motor vehicle including a construction equipment vehicle and agricultural tractor" the words "every motor vehicle, agricultural tractor, power tiller and construction equipment vehicle" shall be substituted.
 - (b) under sub-rule (1), in the proviso, for the words, "horn installation requirements", the words, "horn installation requirements for motor vehicle" shall be substituted.
33. In rule 120 of the said rules,-
- (a) in sub-rule (2), the following proviso shall be added at the end, namely:-

"Provided that on and from the 1st day of April, 2006, where different noise levels are prescribed for vehicles, the lowest limits prescribed for vehicles of such category, shall apply to Battery Operated Vehicles."
 - (b) On and from the 1st day of October, 2006, after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely; -

"(4) In the case of Power tiller with a riding attachment or Power tiller coupled to trailer, the noise level when tested as per IS:12180: 2000, as amended from time to time, shall not exceed 88 dB (A) at the bystander position and 98 dB (A) at the operator's ear level."
34. On and from the 1st day of April, 2006, in rule 122 of the said rules,-
- (a) for the marginal heading, the following heading shall be substituted, namely:-

"Embossment of the Chassis number and Engine number or in the case of Battery Operated Vehicles, motor number and month of manufacture.-"
 - (b) in sub-rule (1), in the proviso, for the words, "engine number, chassis number and month of manufacture all together", the words "engine number/motor number, chassis number and month of manufacture" shall be substituted.

35. On and from six months from the date of commencement of the Central Motor Vehicles (Fifth Amendment) Rules, 2005, in rule 124 of the said rules, after sub-rule (1A), the following provisos shall be inserted, namely:-

"Provided that the vehicle manufacturers shall ensure the fitment of the rear under run protective device in vehicles of categories N2, N3 and their trailers except special purpose vehicles namely tractors and tippers at their end and lateral under run protective device either at their factory or at their dealer's end. Vehicle not fitted with such devices shall not be registered under these rules. They shall also ensure to supply necessary kits if the fitment is not done by them in the case of lateral under-run protective device.

Provided further that the rear under run protective device shall also be painted with yellow and white zebra stripes on the entire rear face of the device.

36. On and from one year from the date of publication of the Central Motor Vehicles (Fifth Amendment) Rules, 2005, in the Official Gazette, CNG after rule 124A of the said rules, the following rule shall be inserted, namely:-

"124B. Safety Standards of components for power tillers.- (1) The lamps and bulbs used on power tillers for

- (a) the head light main and dip;
- (b) the parking light;
- (c) the direction indicator lamp;
- (d) the tail lamp;
- (e) the reversing lamp;
- (f) the stop lamp;
- (g) the rear Registration mark illuminating lamp,

shall be in accordance with AIS:034:2004 as amended from time to time till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986).

- (2) The lighting and signaling devices shall be in accordance with AIS:062:2004 as amended from time to time, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986).

- (3) The safety and comfort of the operator of a power tiller shall be in accordance with IS:12239 (Part 3):1996, as amended from time to time.

- (4) The gradeability of a power tiller coupled to a trailer under the declared combination weight by the manufacturer shall be in accordance with IS:9980:1988, as amended from time to time.
37. In rule 125 of the said rules, after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted, namely:-
- "(6) On and from the 1st day of October, 2007, the seats, their anchorages and their head restraints for M2, M3, N1, N2 and N3 Category of vehicles, shall be in accordance with AIS:023:2005 as amended from time to time till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986)."
38. After rule 125A of the said rules, the following rules shall be inserted, namely:-
- "125B. Special requirements for transport vehicles that are driven on hills.-** (1) On and from the 1st day of October, 2006, such four wheeled transport vehicles as may be notified by State Governments in the official Gazette plying on such routes or areas in hilly terrains shall be fitted with fog lamp, power steering, defogging and demisting system and that the State Government would provide a lead time of six months for this purpose.
- (2) Anti-lock braking system shall be introduced in all M-2 category buses including those plying on All India Tourist Permit on and from the 1st day of October, 2007 in hill areas.
- "125C. Body building and approval.-** (1) On a date to be notified, the testing and approval for body building of buses shall be in accordance with AIS:052:2001 as amended from time to time for vehicles mentioned therein, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986)."
- (2) The testing and approval for the body building of school buses shall be in accordance with AIS:063:2005 as amended from time to time for vehicles mentioned therein, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986)."
39. On and from one year from the date of publication of the Central Motor Vehicles (Fifth Amendment) Rules, 2005, in the Official Gazette, in rule 128 of the said rules, for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(4) Emergency exit-The emergency exit provided on the tourist vehicle shall meet the following requirements, namely:-

- (i) be clearly marked 'EMERGENCY EXIT' in bold letters on the inside and the outside of the tourist vehicle;
- (ii) be so designed as to open from inside and the outside of the tourist vehicle;
- (iii) be equipped with a fastening device which can be quickly released but so designed as to offer protection against accidental release;
- (iv) be easily accessible to persons of normal height standing on the ground outside the vehicle;
- (v) be easily accessible to the passengers;
- (vi) be such that no seat or other object placed in the vehicle shall restrict the passage to the emergency door;
- (vii) be located either at the back or on to the right hand side of the vehicle; and
- (viii) emergency exist may be provided in the form of a window with breakable glass. In such cases, a suitable device shall be provided at a convenient place to break open the glass in the event of an emergency."

40. On and after two years from the date of publication of the Central Motor Vehicles (Fifth Amendment) Rules, 2005, in the Official Gazette, in the Official Gazette, after rule 128 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely:-

"128A. Special provision for M3 category of vehicles. -

The provisions of sub-rule (4) of rule 128 shall apply to all M3 category of vehicles.

41. On and from six months from the date of publication of the Central Motor Vehicles (Fifth Amendment) Rules, 2005, in the Official Gazette, in rule 138 of the said rules, in sub-rule (4),-

(a) in clause (c), the following proviso shall be inserted at the end, namely:-

"Provided further that in addition, M3 and N3 category of vehicles shall also be required to install retro-reflective triangle complying to AIS:022:2001 as amended from time to time, excluding the requirements specified in clauses 7.2, 7.3, 7.4, 7.7, 8.1.2 and 5.0, 6.0, 11.0 of Annexure-4 of the said standard. The colour of the triangle fitted in the front of the vehicle shall be

white and that of rear shall be red. The location of both the triangles shall be at least one meter above the ground level at the front and rear, preferably at the centre of the vehicle. For the purposes of "white colour warning triangle", the word "red" shall be substituted by word "white", wherever applicable in AIS:022:2001. The colour requirements of white retro-reflective portion shall be as per clause 8.5 of AIS:057 and white fluorescent material shall be as per clause 7.1 of ISO:7591-82(E)."

(b) after clause (e), the following shall be inserted, namely:-

"(f) at the time of purchase of the two wheeler, the manufacturer of the two wheeler shall supply a protective headgear conforming to specifications prescribed by the Bureau of Indian Standards under the Bureau of Indian Standard Act, 1986 (63 of 1986):

Provided that these conditions shall not apply to category of persons exempted in terms of Section 129 and the rules made thereunder by the concerned State Government."

42. On and from six months from the date of publication of the Central Motor Vehicles (Fifth Amendment) Rules, 2005 in the Official Gazette, the words "Engine number" appearing in Forms 20, 21, 22, 22A, 23, 23A, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 41, 42, 43, 46, 47, 51 and 54, the words "Engine number, or motor number in the case of Battery Operated Vehicles" shall be substituted.

[F. No. RT-11028/3/2004-MVL]

S. K. MISHRA, Director (Road Transport)

Note: The principle rules were notified vide G.S.R.590(E) dated the 2nd June, 1989 and last amended vide G.S.R. 349 (E) dated the 1st June,2005.